

प्रेमना,

शिव प्रकाश गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

रोवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2005

विषय :- रवि चिल्ड्रेन एकेडमी गोण्डा को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कृत्या जायेगा ।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से विरसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद/कौशिल भार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की स्थिति से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजस्व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

-----2-----

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
 - (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
 - (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
 - (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।

पू0सं0-2991/15-7-2005 तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प० लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, रवि चिल्ड्रेन एकेडमी गोण्डा ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।